भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1614

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार करने को और सुगम बनाना

1614. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल:
डॉ. सत्यपाल सिंह:
श्री रमेश बिधूड़ी:
श्री हँसमुखभाई एस. पटेल:
श्री मनोज तिवारी:
श्री राजेश वर्मा:
श्री राजकुमार चाहर:
श्री महाबली सिंह:
श्री सत्यदेव पचौरी:
श्रीमती क्रीन ओझा:
श्री तीरथ सिंह रावत:
श्री सुनील बाबूराव मेंढे:
डॉ. भारतीबेन डी. श्याल:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
डॉ. मनोज राजोरिया:
श्री रघु राम कृष्ण राजू:
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:
श्री शंकर लालवानी:
श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापार करने को और सुगम बनाने के लिए कोई उपाय कार्यान्वित किए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी व्यापारियों के लिए रियायती दर पर भूमि और बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने विदेशी व्यापारियों द्वारा देश में व्यापार स्थापित करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) और (ख) : उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) के तहत पहलों के समन्वय के लिए नोडल विभाग है। इन पहलों का उद्देश्य, भारत में अनुकूल व्यवसाय परिवेश विकसित करना है। मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने भारत में ईओडीबी को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) गवर्नमेंट टु बिजनस तथा सिटिजन इंटरफेस का सरलीकरण, युक्तिकरण, डिजिटलीकरण और गैर-अपराधीकरण करके व्यवसायों और नागरिकों के अनुपालन बोझ को कम करना।

(ii) व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी) नामक वार्षिक कार्यक्रम के तहत निर्धारित सुधार मानदंडों के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन करना।

(iii) नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) का कार्यान्वयन किया गया, जो निवेशकों के लिए अनुमोदन और सेवाओं से संबंधित एक वन-स्टॉप शॉप है।

(ग) : भूमि संबंधी प्रबंधन और प्रशासन, राज्य का विषय है, जिसे राज्यों की राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सहायता करने के लिए संबंधित राज्यों की औद्योगिक नीतियों/स्कीमों के भाग के रूप में निवेशकों को प्रदान किए जाने वाले अन्य प्रोत्साहनों के साथ-साथ भूमि और बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। यद्यपि, ऐसी सब्सिडी और प्रोत्साहनों के प्रस्ताव सामान्यत: सीधे ही संबंधित राज्यों में प्राप्त हो जाते हैं, अत: इनका राज्य-वार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता।

(घ) : समय-समय पर यथा संशोधित (एफडीआई नीति), दिनांक 15.10.2019 की समेकित एफडीआई नीति और समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 17.10.2019 की विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के अनुसार जिन एफडीआई प्रस्तावों के संबंध में, सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, उन पर दिनांक 17.08.2023 के निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

भारत सरकार ने एक उदार और निवेशक अनुकूल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति लागू की है, जिसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई के लिए खुले हैं। एफडीआई का अंतर्वाह, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, बाजार के आकार, अवसंरचना, राजनीतिक और सामान्य निवेश वातावरण के साथ-साथ व्यापक-आर्थिक स्थिरता और विदेशी निवेशकों के निवेश संबंधी निर्णय जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है।

****